संख्याः33/2021/2265/46-1099/62/2019

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 17 दिसम्बर, 2021**

विषयः-पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति (पेराई सत्र 2021-22 से पेराई सत्र 2025-26 तक) के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में गन्ने के बढ़ते उत्पादन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खाण्डसारी इकाईयों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पेराई सत्र 2018-19 में खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति जारी की गयी थी। इस नीति से खाण्डसारी उद्योग को बढ़ावा मिला तथा इसके माध्यम से अतिरिक्त गन्ने की खपत, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कृषकों हेतु गन्ना आपूर्ति के एक विकल्प के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला है। वर्तमान समय में खाण्डसारी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के अन्दर एवं बाहर खाण्डसारी/शीरे/राब/गलावट/राब सलावट के सम्भरण आदि के दृष्टिगत पावर क्रशरों को नये लाइसेंस दिये जाने के प्राविधानों को सम्मिलित किये जाने तथा सुप्त इकाइयों को नये लाइसेंस जारी किये जाने, लाइसेंस में परिवर्तन किये जाने, गुड़ का उत्पादन करने वाले क्रशरों/मिनी क्रशरों की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों में कतिपय संशोधन किये जाने की जरूरत प्रदेश स्तर पर महसूस की जा रही है।

2. उक्त के दृष्टिगत पेराई सत्र 2018-19 में निर्गत खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति के स्थान पर श्री राज्यपाल पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति (पेराई सत्र 2021-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

22 से पेराई सत्र 2025-26 तक) निम्नवत जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति (पेराई सत्र 2021-22 से पेराई सत्र 2025-26 तक)

(1) **<u>पावर क्रशरों एवं खाण्डसारी इकाईयों के नये लाइसेंस:</u>**

(क) संस्थापित चीनी मिल से 7.5 किमी. की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।

(ख) चीनी मिल के सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र से भिन्न फ्री जोन में नया खाण्डसारी लाइसेंस दिये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, किन्तु सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में नया लाइसेंस प्रस्तर-1(क) के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(ग) गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त होंगी, किन्तु इनकी स्थापना प्रस्तर-1(क) में उल्लिखित दूरी से प्रतिबन्धित होगी। इन इकाईयों पर खाण्डसारी इकाईयों को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 प्रभावी नहीं होगी।

(घ) खाण्डसारी इकाईयों के लाइसेंस प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है, ऑनलाइन लाइसेंस निम्न प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किये जायेंगे:-

(I) 33x46 सेन्टीमीटर तक के आकार वाले पावर क्रशरों के लाइसेंस हेतु आवेदनकर्ता वांछित दस्तावेजों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्रों पर 50 घण्टे में सहायक चीनी आयुक्त एवं इतनी ही अवधि में चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(II) 33x46 सेन्टीमीटर तक से अधिक के आकार वाले पावर क्रशरों के लाइसेंस हेतु आवेदनकर्ता वांछित दस्तावेजों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा, परन्तु कथित आकार से ऊपर की इकाईयों के लाइसेंस का निर्गमन प्रस्तावित इकाई स्थल की परिधि के अन्तर्गत निकटतम संस्थापित चीनी मिलों को पिछले 03 पेराई सत्रों में गन्ने की उपलब्धता एवं प्रस्तावित इकाई स्थल से 7.5 कि.मी. की परिधि में पिछले 03 पेराई सत्रों में कार्यरत खाण्डसारी इकाईयों की संख्या के अधीन होगा।

प्रदेश में चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादक किसान एवं खाण्डसारी इकाईयों के समग्र हित में खाण्डसारी इकाईयों को गन्ना खरीद परमिट उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 16(डी) में गन्ना आयुक्त को प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

(ड.) गुड़ बनाने वाली इकाईयां यदि खाण्डसारी बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(च) नई संस्थापित की जा रही चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में नया लाइसेंस प्रस्तर- 1(क) के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अग्रेतर यदि आई.ई.एम. (इन्डस्ट्रीयल एन्टरप्रेन्योर मेमोरैन्डम) प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में चीनी मिल संचालित नहीं होती है, तो नयी खाण्डसारी इकाई पर प्रस्तर-1(क) का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(2) **<u>सुप्त इकाईयों को लाइसेंस जारी किया जाना:</u>**

(क) ऐसी बन्द हो चुकी खाण्डसारी इकाईयां, जिन्हें एकमुश्त लाइसेंस व्यवस्था (वर्ष 1997-98) लागू होने से पूर्व किसी भी सत्र मे लाइसेंस प्राप्त रहा हो, तथा इकाई ने पूर्व में कार्य किया हो एवं वर्तमान में उस पर कोई बकाया न हो तो ऐसी इकाईयों की 1997-98 से पूर्व की सुप्त अवधि एवं विलम्ब शुल्क को क्षम्य माना जायेगा। ऐसी इकाईयों द्वारा एकमुश्त लाइसेंस शुल्क जमा करने पर उनका लाइसेंस सहायक चीनी आयुक्त द्वारा नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(ख) ऐसी इकाईयां जिन पर गन्ना क्रयकर, ब्याज, शास्ति एवं गन्ना विकास कमीशन की धनराशि बकाया है और वह समस्त बकाया धनराशि जमा कर देती हैं तो उनको भी उक्तानुसार प्रस्तर-2(क) की प्रक्रिया के तहत एकमुश्त लाइसेंस की सुविधा अनुमन्य होगी।

(ग) ऐसे इकाई स्वामियों जिन्होंने 2(क) एवं 2(ख) की व्यवस्था के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो उन्हें प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिन पेराई कार्य करना अनिवार्य होगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग उनके द्वारा रू.10.00 के नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दी जायेगी।

(3) **<u>लाइसेंस में परिवर्तन:</u>**

(क) विवादास्पद मामलों को छोड़कर साझेदारी संविदा के आधार पर साझेदारों के घटने, बढ़ने अथवा उत्तराधिकार के मामलों में नाम परिवर्तन किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध न होगा, किन्तु फर्म के नाम परिवर्तन हेतु पार्टनरशिप डीड तथा मण्डी परिषद का नोड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 03 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) इकाई स्वामी द्वारा पुरानी इकाईयों के आकार एवं प्रकार में परिवर्तन पर कोई प्रतिबन्ध न होगा, परन्तु 33X46 सेन्टीमीटर से ऊपर के आकार एवं प्रकार में परिवर्तन संस्थापित इकाई स्थल की परिधि के अन्तर्गत निकटतम संस्थपित चीनी मिलों को पिछले 03 पेराई सत्रों में गन्ने की उपलब्धता एवं संस्थापित इकाई स्थल की परिधि के 7.5 कि.मी. के अन्तर्गत पिछले 03 पेराई सत्रों में कार्यरत खाण्डसारी इकाईयों की संख्या के अधीन होगा। परिवर्तन संबंधी आवेदनों का निस्तारण तद्नुसार चीनी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा किया जायेगा।

(ग) प्रस्तर-3(ख) में उल्लिखित परिवर्तन के अतिरिक्त इकाई के लाइसेंस में ऐसा कोई परिवर्तन जिससे इकाई की गन्ना पेराई क्षमता में वृद्धि होती हो, की स्वीकृति चीनी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा प्रदान की जायेगी।

(घ) इकाई स्वामी सहायक चीनी आयुक्त की पूर्व अनुमति लेकर सल्फर से नान सल्फर एवं नान सल्फर से सल्फर में परिवर्तन करने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 03 कार्य दिवस में सहायक चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(ड़) इकाई स्वामी नान हाईड्रोलिक/स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया से हाईड्रोलिक/स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया में सक्षम अधिकारी की अनुमति से परिवर्तन कर सकता है, किन्तु परिवर्तन के अनुरूप ही निर्धारित शुल्क के अन्तर की धनराशि देय होगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 03 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(4) **<u>स्थल परिवर्तन:</u>**

(क) सहायक चीनी आयुक्त की पूर्वानुमति से संस्थापित इकाई को उसी ग्राम में किसी भी प्लाट पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 03 कार्य दिवस में सहायक चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(ख) संस्थापित इकाई को वर्तमान स्थल से दूसरे राजस्व ग्राम में परिवर्तन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तर-1(क) का प्रतिबन्ध रखते हुए प्रदान की जायेगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 03 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(5) **<u>परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र की अन्तिम तिथि:</u>**

इकाई में प्रस्तर-3 व 4 में वर्णित किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा, जो निस्तारण आदेश जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा।

(6) **<u>इकाई के क्रय-विक्रय संबधी मामले:</u>**

यदि कोई इकाई स्वामी अपनी इकाई का विक्रय करना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में निर्धारित एकमुश्त लाइसेंस शुल्क धनराशि जमा कर नामान्तरण किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में नवीन लाइसेंस प्रार्थना पत्रों पर अपनायी जाने वाली प्रस्तर-1(क) की प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 03 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा किया जाना होगा।

(7) (क) **<u>खाण्डसारी इकाईयों को स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना:</u>**

स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु इकाई स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके 03 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ख) **<u>खाण्डसारी इकाईयों को ओपनपैन में रहते हुए कतिपय प्रक्रिया संशोधनों की अनुमति प्रदान करना:</u>**

खाण्डसारी इकाईयों को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अन्तर्गत निर्गत लाइसेंस में इवोपोरेटर के स्तर पर वैक्यूम के अन्तर्गत सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक इवोपोरेट करने की अनुमति होगी। यह अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 03 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(8) उत्तर प्रदेश खाण्डसारी शक्कर विनिर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा,1967 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त इकाई को लाइसेंस की शर्तों का पालन करते हुए गुड़ उत्पादन करने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(9) (क) लाइसेंसकृत इकाईयां अपने चलने व बन्द होने की सूचना एक सप्ताह पूर्व सम्बन्धित खाण्डसारी निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को तथा गन्ना पेराई/गुड़, राब एवं चीनी उत्पादन की दैनिक सूचना ऑनलाइन www.upkhandsari.in पर अपलोड करेंगी एवं साथ ही साथ निर्धारित दैनिक गन्ना खरीद रजिस्टर (प्रपत्र-6) में, गन्ना पेराई एवं उत्पादन तथा स्टाक रजिस्टर भी अनुरक्षित करेंगी। उक्त प्राप्त आनलाइन सूचना को विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से आनलाइन साझा किया जायेगा।

(ख) शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाहर खाण्डसारी शीरे/राब गलावट/राब सलावट का सम्भरण, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जायेगा तथा उसकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

सूचना upexciseonline Portal पर भी अपलोड की जायेगी।

(ग) प्रदेश में स्थित खाण्डसारी इकाईयों से उत्पादित होने वाले शीरे/राब गलावट/राब सलावट का रिकार्ड रखा जायेगा तथा इस रिकार्ड को इकाई स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश खाण्डसारी पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

(घ) प्रदेश में स्थित खाण्डसारी इकाईयों के जियो-टैंगिग की व्यवस्था की जायेगी।

(ड़) नीति के लागू होने से पूर्व की लाईसेंसकृत इकाईयां भी क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी।

(च) प्रस्तर-9(क), (ख), (ग), (घ), (ड़) एवं (च) के प्राविधान नयी संस्थापित एवं वर्तमान में कार्यरत सभी खाण्डसारी इकाईयों पर लागू होंगे।

(10) **<u>गुड़ का उत्पादन करने वाले पावर क्रशर/मिनी क्रशर की स्थापनाः</u>**

(क) गुड़ उत्पादन करने के लिए पावर क्रशर/मिनी क्रशर की स्थापना प्रस्तर-1(क) से प्रतिबन्धित होगी, इस हेतु उन्हें लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु गुड़ का उत्पादन करने वाली इकाईयों/क्रशरों को अपनी इकाई संस्थापित करने से पूर्व प्रस्तावित इकाई स्थल की भारतीय सर्वेक्षण विभाग से त्रिज्यात्मक दूरी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सूचना सम्बन्धित सहायक चीनी आयुक्त को प्रेषित करनी होगी।

(ख) गुड़ उत्पादन करने वाली इकाईयां अपने संचालन एवं बन्दी की सूचना एक सप्ताह पूर्व सम्बन्धित खाण्डसारी निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने के साथ प्रचलित निर्धारित दैनिक गन्ना खरीद रजिस्टर (प्रपत्र-6), गन्ना पेराई एवं उत्पाद तथा स्टाक रजिस्टर को अनुरक्षित करेंगी एवं मांगे जाने पर उपलब्ध कराएंगी तथा गन्ना पेराई एवं गुड़ उत्पादन की साप्ताहिक सूचना ऑनलाइन www.upkhandsari.in पर अपने यूजर आई.डी के माध्यम से अपलोड करेंगी।

(ग) क्षेत्र में स्थापित खडे कोल्हुओं की गणना की जायेगी तथा उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में रखा जायेगा, जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्षेत्र में कितने कोल्हू संचालित हैं तथा उनके द्वारा अनुमानतः कितने गन्ने की खपत/पेराई की जा रही है। कोल्हूओं की गणना करने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित खाण्डसारी निरीक्षक का होगा।

3. प्रस्तावित नीति के प्रभावी रहने की अवधि में यदि कोई वांछित संशोधन किया जाता है तो निर्गत नीति में किया गया संशोधन जारी समस्त अनुज्ञाप्तियों पर लागू होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

4. निर्गत नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिये चीनी आयुक्त अधिकृत होंगे।

5. यह नीति पेराई सत्र 2021-22 से पेराई सत्र 2025-26 तक प्रभावी रहेगी।

6. अत: उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:33/2021/2265/46-1099/62/2019, दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
2. आबकारी आयुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
7. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा चीनी आयुक्त।
8. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,
डॉ. रूपेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है